हमारा ई-मेल : panchambpl@gmail.com

पंचम्

पंचायती राज महासंघ का समाचार-पत्र

पंचायती राज महासंघ चुने हुए त्रिस्तरीय पंचायतीराज जन-प्रतिनिधियों का एक संयुक्त मंच हैं, जो प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त, सक्रिय जबावदेह एवं पारदर्शी बनाने के लिये प्रयासरत् है। वर्तमान में 25 जिलों के 40 ब्लाकों में लगभग 5000 निर्वाचित जन-प्रतिनिधी पंचायती राज महासंघ की सदस्यता ग्रहण कर कार्यरत् है।

वर्ष : 6 अंक : 08 | भोपाल, नवंबर 2012 | RNI MP 2007/20746 | पृष्ठ : 8 | मूल्य 5 रूपए

पंचायती राज महासंघ की
भिन्ड जिला ईकाई की बैठक सम्पन्न

अनुप कुमार श्रीवास्तवा

भिंड। पंचायती राज महासंघ जिला ईकाई भिन्ड के अध्यक्ष श्री कासिम खान की अध्यक्षता में जनपद पंचायत भिन्ड में एक बैठक आयेजित की गई जिसमें 42 सरपंच व अन्य पंचायत जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया जिसमें भारतीय संविधान की धरा 40 एवं अनुच्छेद 243 के अनुरूप पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त स्वायत्तशासी संस्था के रूप में विकसीत कर उसे सक्रिय, जबावदेह एवं पारदर्शी बनाने पर चर्चा की गई। साथ ही साथ पंचो, सरपंचो, व अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र के विकास कार्यों में आ रही सम्स्याओं, शासन प्रशासन द्वारा किये जाने वाले नकारात्मक सहयोग एवं पंचायती राज कानून के अन्तर्गत जन प्रतिनिधियो को मिले हक-व अधिकारो का उपयोग गांव के विकास में करने पर विचार किया गया।

भारतीय संविधान की धारा 40 के अनुरूप पंचायती राज के सशक्तिकरण व स्थानीय स्वशासन को मजबूत किये बगैर गाँवों का विकास संभव नही है। शासन-प्रशासन द्वारा जन-प्रतिनिधियों को समुचित सम्मान व आपेक्षित सहयोग न मिलने तथा उनके सिमटते हक व अधिकार पर गहरा रोष जताया गया। यह तय किया गया कि जिले समस्त पंचायत जनप्रतिनिधियों को एकजुट करने के लिये जिला स्तरीय कमेटी का एक दल बनाया गया जो प्रत्येक ब्लॉक में बैठक कर समस्त जनप्रतिनिधियों को जागृत कर प्रषासन को अपनी मांगों से अवगत करायेगी। बैठक के अन्त में एक मांग पत्र तैयार कर प्रशासन के समक्ष रखा गया।

क्या है जनप्रतिनिधियों की मांगें:

पंचायत जनप्रतिनिधिनिधियों की मानदेय बढाने, पंचायत में की जाने वाली समस्त भौतिक कार्यो की सी.एस.आर. दरे बढाने, ग्राम पंचायत द्वारा पारित ठहराव प्रस्ताव का निर्णय को अंतिम मानने तथा माननीय न्यायालय के अलावा विवेचना का अधिकार किसी भी स्तर पर प्रशासन के अन्य अधिकारी को न देने, गांव के आंतरिक मार्गो में हुए अतिक्रमण को हटाने के लिये पंचायत के निर्णय को अंतिम मानते हुए पुलिस कार्यवाही करने, मनरेगा की मांग पत्र प्राप्त होने के तीन दिवस के भीतर राशि उपलब्ध कराने, मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम की धारा 7(ठ) की अनुपालना सुनिश्चित हेतु स्पष्ट निर्देश जारी करने जिससे पंचायत क्षेत्रों के अन्तर्गत कार्यरत् समस्त शासकीय कर्मचारी/अधिकारीयों पर नियंत्रण ग्राम पंचायत व ग्राम सभा का हो सके, मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम की धारा 69 की अनुपालना सुनिश्चित करने व उन पर नियंत्रण रखने के लिये ग्राम पंचायतों में नियुक्त होने वाले समस्त शासकीय कर्मचारी/ अधिकारीयों की नियुक्ति ग्राम पंचायत व ग्राम सभा के द्वारा किये जाने का स्पष्ट निर्देश जारी करने, समस्त ग्राम पंचायतों से स्थानीय पंचायत सचिव को तुरन्त हटाया जाने, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की सी.आर. लिखने का अधिकार उस जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत के अध्यक्ष को देने, ग्राम सभा के वैधानिक निर्णयों को अंतिम मानने, एवं ग्राम सभा के निर्णयों पर एक माह के अन्दर कार्यवाही न करने पर संबंधित अधिकारी पर कार्यवाही का प्रावधान किये जाने, ग्राम पंचायत के शासकीय कार्यों एवं रोजगार गारंटी योजना के कार्यो के क्रियान्वयन के लिये मात्र एक पंचायत कर्मी/सचिव ही उपलब्ध है जो कि कार्य की अधिकता को देखते हुये कम है अतः कम से कम एक अतिरिक्त कर्मचारी की व्यवस्था करने, एक बार ग्राम पंचायत की योजना जिला योजना समिति से पारित हो जाने पर उसकी क्रियान्वयन के लिये किसी की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं हो, स्पष्ट निर्देश जारी किये जायें।

पंचायत राज महासंघ की नीति एवं वैधानिक कार्यबल की बैठक 22 नवम्बर को

पंचायत राज महासंघ के 26 सितम्बर 2012 के राज्य प्रबंध कार्यकारिणी की बैठक में बनाये गये नीति एवं वैधानिक कार्यबल की बैठक 22 नवम्बर 2012 को समर्थन भोपाल में आयोजित की जा रही है। जिसमें नीति कार्य दल की बैठक प्रात: 10 बजे से तथा वैधानिक कार्य बल की बैठक दोपहर 2 बजे से प्रारम्भ होगी। इस कार्य बल बैठक का मुख्य उद्वेष्य पंचायती राज कानून के अन्तर्गत जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन करने में आ रही कठिनाइयों पर विषय विषेषज्ञो के साथ मिल कर गहराई से उन मुद्दो चर्चा एवं विष्लेषण कर एक प्रारूप बनाई जाए, जिससे महत्वपूर्ण मुद्दे को प्रभावी तरीके से शासन के समक्ष रखा जा सके और उसका हल निकाला जा सके। उसी प्रकार विधि विषेषज्ञों द्वारा मध्य प्रदेष पंचायती राज कानून के क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं पर अध्ययन कर उसके विभिन्न विकल्पों पर विचार करने के लिये 'वैधानिक कार्य बल' की बैठक होगी।

द्वारा : पंचायती राज महासंघ सचिवालय खबरें

मानदेय एवं अपनी मांगों को लेकर पंचायत जनप्रतिनिधि पहुंचे कलेक्ट्रेट, मुख्यमत्री के नाम दिया ज्ञापन

अनुप कुमार श्रीवास्तवा

पंचायत जनप्रतिनिधियों की मानदेय बढाने एवं अन्य दूसरी मांगों को लेकर पंचायत राज महासंघ के बैनर तले जिले के सरपंचो व अन्य जनप्रतिनिधियों ने एक बैठक की, तत्पश्चात् एक प्रतिनिधि मंडल स्थानीय जिला कलेक्टर श्री अखिलेश श्रीवास्तव को 12 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नाम एक का एक ज्ञापन भी दिया। पंचायती राज महासंघ भिन्ड जिला के अध्यक्ष एडवोकेट कासिम खान ने बताया पंचायत राज महासंघ की बैठक में उपस्थित जिले के सभी जनपदों से आये हुए सरपंचो व अन्य सभी जनप्रतिनिधियों ने म.प्र.प.राज. एवं ग्रा.स्व. कानून के अन्तर्गत ही विचार मंथन कर सर्व सम्मत से निर्णय ले कर अपनी मांगे प्रशासन के सम्मुख रखी है। इसलिये हमारी माँगें समय सीमा में न मानी गई तो तो भिन्ड से लेकर भोपाल तक लड़ाई लड़ने के लिये हम मजबुर होगें। हमारी मांग को जिला कलेक्टर महोदय द्वारा गंभिरता से लिया गया तथा सार्थक पहल करते हुए 12 सूत्रीय मांगो मे से निम्न 7 मांगों को मानते हुए स्पष्ट निर्देश जारी करने के आदेश दिये।

जिला कलेक्टर ने ये भी कहा कि पंचायती राज महासंध अच्छा काम कर रहा है, और आप सभी जनप्रतिनिधी अपने अपने प्रशासन के साथ मिलकर कुपोषण की रोकथाम करने, मिड-डे-मिल के सही संचालन करने, बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ने, विकलांगों को सहायता करने, बुजूर्गो को सम्मान पूर्वक पेंशन स्वीकृत कराने तथा अन्य सामाजिक कुरितियों को दूर कर आर्थिक सशक्तिकरण करने में भी सहयोग दे। आपके ग्राम पंचायत में कोई भी प्रशासनिक अधिकारी लापरवाही बरतता है तो आप आवश्य अवगत कराये उस पर तुरन्त कार्यवाही की जायेगी। जिला कलेक्टर ने सभी जनप्रतिनिधियों को क्षेत्रीय समस्याओं से अवगत कराने के लिये धन्यवाद भी दिया तथा आश्वासन भी दिया कि जिले के हर समस्या के समाधान के लिये सार्थक पहल करते रहेगें।

पंचायती राज महासंघ भिन्ड जिला के अध्यक्ष कासिम खान

जिला कलेक्टर महोदय क्या-क्या दिये निर्देश

पंचायत में की जाने वाली समस्त भौतिक कार्यों की सी.एस.आर. दरे बढाने, ग्राम पंचायत द्वारा पारित ठहराव प्रस्ताव का निर्णय को अंतिम माने जायेगें, गांव के आंतरिक मार्गों में हुए अतिक्रमण को हटाने के लिये पुलिस को कार्यवाही करने की व्यवस्था, समस्त ग्राम पंचायतों से स्थानीय पंचायत सचिव को तुरन्त हटाने, ग्राम सभा के वैधानिक निर्णयों को अंतिम माना जाने, ग्राम पंचायत की योजना जिला योजना समिति से पारित हो जाने पर उसकी क्रियान्वयन के लिये कुछ केस को छोडत्रकर अन्य किसी की अनुमति लेने की आवश्यकता न हो, तथा मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम की धारा 7(ठ) की अनुपालना सुनिश्चित करते हुए पंचायत क्षेत्रों के अन्तर्गत कार्यरत् समस्त शासकीय कर्मचारी/अधिकारी पर नियंत्रण ग्राम पंचायत व ग्राम सभा का हो सके इसके स्पष्ट निर्देश जारी किये गये।

सरपंच संघ ने सीहोर जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

सीहोर। पंचायती राज महासंघ से जुडे सरपंच संघ ने जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपकर मनरेगा योजना के तहत् ग्राम पंचायतो द्वारा कराये जा रहे कार्यों की राशि शीध्र जारी करने की मांग की। जिला कलेक्टर श्री कवीन्द्र कियावत को सौंपे गये ज्ञापन में बताया गया है कि जनपद पंचायत आष्टा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली 134 ग्राम पंचायतो में मनरेगा योजना के कार्य स्वीकृत कर प्रारम्भ कर दिये गये हैं तथा कुछ कार्य पूर्ण भी हो चुके हैं किन्तु राशि के अभाव में मजदूरों का चुकारा नही हो पा रहा है। जबकि मनरेगा के अन्तर्गत सभी तरह के भुगतान साप्ताहिक आधार पर किये जाने है। मनरेगा के तहत् पंचायतो में काफी समय से सामग्री एवं मजदूरी का भुगतान लबित होने के कारण सरपंच को स्थानीय मजदूरो तथा सामग्री विकेताओं के अपशब्दो को सुनना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में सरपंच व सचिव को कई मानसिंक परेशानिया उठानी पड़ रही है। सरपंच संघ ने बताया कि कमांबेश ऐसी परिस्थितियाँ सभी ग्राम पंचायतों की है जहाँ उन पर दबाव डालकर कार्य प्रारंभ कराये गये हैं। कार्य करने के पश्चात् पिछले 4 माह से भुगतान की स्थिति पर किसी ने गंभीरता नही दिखायी तथा ग्राम पंचायतों व उनके पदाधिकारियों को मझदार में छोड़ दिया गया। सरपंच संघ ने बताया कि इसी प्रकार पंचायतों को राशि उपलब्ध कराये बिना निर्मल भारत अभियान के अन्तर्गत कार्य करवाने का प्रयास किया जा रहा है। यदि कुल निर्मित होने वाले शौचालय की कम से कम आधी राशि उपलब्ध नही कराई जाती तो कोई भी सरपंच कार्य नही करेगा। उसी प्रकार पंच परमेश्वर योजना के दूसरी किस्त का कार्य भी नही हो पा रहा क्योंकि आधी राशि मनरेगा से प्राप्त होना है जो अभी तक पंचायतों को नही मिला है। ज्ञापन देने वालों में जनपद अध्यक्ष श्री धारा सिंह पटेल, सीहोर सरपंच संघ के अध्यक्ष सरपंच श्री जीवन सिंह ठाकुर, सचिव श्री जमे सिंह ठाकुर, श्री मनोहर सिंह पटेल, श्री एलम सिंह, श्री शान्तिलाल, सरपंच श्री सुरेश, श्री मिंटू जैन, श्री भागीलाल, श्री कृपाल सिंह, श्री उदय सिंह, श्री कालूलाल आदि अन्य संघ के सदस्य मौजूद थे।

पंचायती राज महासंघ की राज्य अधिवेशन व नई कार्यकारिणी का चुनाव 23 नवम्बर को

पंचायत राज महासंघ की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में राज्य अधिवेषन व साधारण सभा की बैठक कर नई कार्यकारिणी का चुनाव 7 नवम्बर को प्रस्तावित किया गया था, थी। पंचायती राज महासंघ की समस्त वैध सदस्यों की मतदाता सूची जारी होकर, 1 नवम्बर को चुनाव की अधिसूचना जारी किया जा चुका है, और सभी वैध सदस्यों को साधारण डाक से पत्र भेजें जा चुके है। इस चुनाव में 30 अक्टुबर 2012 तक सदस्यता की अंतिम तारीख को कअ-ऑफ डेट मानकर मतदाता सूची तैयार की गई है तथा चुनाव में वही सदस्य अपनी उम्मिदवारी व अपना मत दे सकेंगे जिनके पास वैध सदस्यता व मतदाता सूची में नाम दर्ज होगा।

- **मतदाता सूची (सदस्यता ग्रहण) करने की अंतिम तारीख 30 अक्टुबर 2012**
- **मतदाता सूची जारी होने की तारीख 31 अक्टुबर 2012**
- **चुनाव की अधिसूचना जारी होने की तारीख 1 नवम्बर 2012**
- **उम्मिदवारी का निर्धारण व चुनाव की तारीख: 23 नवम्बर 2012**
- **परिणाम की घोषणा सायंकाल दिनांक: 23 नवम्बर 2012**

परन्तु अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर नई तारीखें 23 नवम्बर 2012 को समर्थन भोपाल में नियत किया गया है। कई सदस्यों द्वारा यह महसुस की जा रही थी कि विभिन्न त्यौहारों की वजह से सदस्यता हेतु ज्यादा समय देने की आवष्यकता है तथा चुनाव की तारीख आगे बढाये जाने की मांग की जा रही

पंचायत की मंजूरी के बिना जैव संपदा का उपयोग नहीं

दिल्ली से लौटकर अनुप कुमार श्रीवास्तवा

ग्राम पंचायते अपने आस–पास के क्षेत्रों में पाई जाने वाली जैव सम्पदा को संग्रहित करने के लिये अपना रजिस्टर बना सकेंगी। इसमें स्थानीय स्तर पर पाए जाने वाले पेड़–पौधों व वनस्पतियों का व्यौरा रखना होगा, जिससे पंचायत की अनुमति के बगैर कोई भी सरकारी या निजी एजेंसी जैव सम्पदा का इस्तेमाल नही कर सकेंगी। वन एंव पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार ने गाँवों में जैव सम्पदा रजिस्टर बनानें के लिये व्यापक योजना तैयार की है।

दरअसल, दो साल पूर्व जापान के नागोया में हुए सम्मेलन में जैव सम्पदा पर स्थानीय समुदाय को हिस्सेदारी व मालिकाना हक देने पर सहमति बनी थी। जिसे पिछले दिनों हैदराबाद में हुए सम्मेलन में भारत ने भी अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। वन एंव पर्यावरण मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री हुम कुनार पाण्डे के अनुसार सभी ग्राम पंचायतों में जैव सम्पदा रजिस्टर बनाने के लिये मंत्रालय ने 250 करोड़ रूपये बजट का प्रावधान किया है। उन्होने कहा जहाँ जैव सम्पदा प्रचुर मात्रा में है वहाँ पंचायत स्तर पर तथा जहाँ जैव सम्पदा अपेक्षाकृत कम है वहाँ ब्लॉक व जिला स्तर पर रजिस्टर बनाये जायेंगे। यह व्यवस्था स्थानीय लोगो को वहाँ मौजूद जैव सम्पदा पर हक दिलायेगी व उनका नियंत्रण रख सकेंगी। मसलन गाँव के समीप कोई वन है तो उस पर पहला हक गाँव के लोगो का है। यदि उस जंगल से कोई ऐसा फल, औषधी या पेय बनाने योग्य सामग्री निकलती है तो ठेके प्राप्त करने वाले ऐजेंसी को इससे हाने वाली आय का एक हिस्सा उसी ग्राम के कल्याण के लिये देना या खर्च करना होगा।

श्री पाण्डे ने बताया कि ये योजना पिछले साल से ही कुछ हिस्सों में प्रायोगिक तौर पर शुरू की गई थी जिसे अब पूरे देश में लागू किये जायेंगे। दक्षिणी राज्यों में तो अब तक 1200 से ज्यादा रजिस्टर बन भी चुके है। यह ज्ञात है कि पूरे विश्व की 8 प्रतिशत जैव सम्पदा अकेले भारत में है, इसलिये जैव विविधता से जुड़े समुदायों को इस पहल से फायदा पहुँचेगा तथा जैव सम्पदा रजिस्टर ग्रामीणों के लिये पेंटेंट का भी कार्य करेगा।

सामार: दैनिक हिन्दुस्तान, दिल्ली

जिला पंचायत के सामाजिक न्याय विभाग के बाबू रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरतार

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना को चेक जारी कराने के लिये मांगी थी 20 प्रतिशत की रिश्वत

जबलपुर, नि.स., एक विकलांग दंपति से मुख्यमंत्री कन्यादान योजना को चेक जारी कराने के लिये 20 प्रतिशत रिश्वत राशि की पहली किस्त पाँच हजार रूपये लेते हुए जिला पंचायत के सामाजिक न्याय विभाग के बाबू अनिल तिवारी को लोकायुक्त टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरतार किया।

मंडला चँदिया निवासी शिव प्रसाद उडके जो कि खुद विकलांग है उसने आदिवासी विकलांग लड़की श्यमा बाई से विवाह किया था। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले आदिवासी विकलांग व्यक्यिों को 25–25 हजार रूपये दिये जाने का प्राव्धान है। जिसके तहत् उक्त दंपति को 50 हजार रूपये मिलने थे। उक्त राशि का चेक पास कराने के लिये सामाजिक न्याय विभाग में सहायक ग्रेड–3 में पदस्थापित बाबू अनिल तिवारी ने 20 प्रतिशत राशि बातौर रिश्वत की मांग की थी, जिसकी शिकायत लोकायुक्त से की गई थी। लोकायुक्त टीम ने डी.एस.पी. धुर्वे के नैतृत्व में पूरी कार्य योजना बनाकर फरियादी शिव कुमार को पाँच हजार रूपये कि पहली किश्त के साथ बाबू के पास भेजा, जैसे ही बाबू ने रिश्वत के रूपये अपने हाथ में लिये, लोकायुक्त टीम ने उसे धर दबोचा।

- मुख्यमंत्री कन्यादान योजना को चेक जारी कराने के लिये 20 प्रतिशत रिश्वत
- मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अन्तर्गत बी.पी.एल. परिवार के विकलांग व्यक्यिों को 25–25 हजार रूपये दिये जाने का है प्राव्धान।
- विकलांग शिव प्रसाद उडके आदिवासी विकलांग लड़की से किया था विवाह।

सामार: राज एक्सप्रेस, भोपाल

1 नवम्बर से 30 नवम्बर तक विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन

अशोकनगर, मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम के अंतर्गत 1 नवम्बर से 30 नवम्बर तक विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। इन ग्राम सभाओं की कार्य सूची के स्थायी विषयों के अतिरिक्त विगत बैठक में लिए गए निर्णय का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, आय व्यय का अनुमोदन एवं सामाजिक आंकेक्षण पर विस्तृत चर्चा की जाएगी।

भ्रष्ट्राचारियों ने डकारी सड़को की राशि

ग्राम पंचायत झांझर में हुआ फर्जीवाड़ा, पंचायत की आदिवासी और दलित बस्ती में बननी थी सड़क

झांझर की दलित बस्ती में वह स्थान जहां कागजों में सीसी सड़क निर्माण कराया गया। निर्माण कार्य के लिए एक वर्ष पूर्व डाली गई मिट्टी व उसका पक्का भूमिपूजन शिलालेख एवं सीसी सड़क नि फर्जीवाड़े की सोशल वॉचग्रुप के सदस्यों को जानकारी देते ग्रामीण।

पन्ना, आदिम जाति कल्याण विभाग से वर्ष 2011 में ग्राम पंचायत झांझर की आदिवासी और दलित बस्तियों में सड़क निर्माण हेतु स्वीकृत 4 लाख रूपये डकार कर कागजों में सी.सी. सड़क का निर्माण कराया गया। जबकि मौके पर सड़क की जगह धूल के गुब्बार उड़ रहे थे। जिले के कथित जिम्मेदार अधिकारियों की कार्य प्रणाली कुछ ऐसी है कि जो यह संदेश देती है कि हम भ्रष्टो के भी भ्रष्ट है हमारा कोई क्या बिगारेगा। शायद सही कारण है कि भ्रष्ट्राचार के इस दल–दल में स्वर्णिम कहे जाने वाले मध्य प्रदेश में सुशासन के दावे आम आदमी को मजाक लगता है। जहाँ कही भी देखे भ्रष्ट्राचार की गंगा पूरे वेग के साथ प्रवाहित हो रही है। शासन–प्रशासन के उच्च अधिकारियों द्वारा भ्रष्ट्राचार रोकने और भ्रष्ट्राचारियों के खिलाफ कार्यवाही करने के सार्वजनिक दावें चाहे जितने भी कर लें सच्चाई यह है कि वे अपने पद और रूतबे का इस्तेमाल भ्रष्ट्राचारियों के संरक्षण प्रदान करने में कर रहे है। ग्राम पंचायत झांझर मे हुई अनियमितता के संदर्भ में यह बात सौ फिसदी सही प्रतीत होती है। पिछले दिनों सोशल वॉच ग्रुप ने ग्राम पंचायत झांझर का दौरा कर यहा हुए विकास कार्यो और उसके प्रभाव का आंकलन किया था।इस भ्रमण के दौरान भ्रष्ट्राचार से जुड़े कई चौकाने वाले मामले प्रकाश में आये थे जो अखबारों की सुर्खिया भी बनी थी उसके बाद भी दोषी अधिकारियों पर कोई कार्यवाही नही हुई। इसमें एक सी.सी.सड़क निर्माण की गायब होने का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया था। सोशल वॉच ग्रुप की पड़ताल में यह बात सामने आयी थी कि विगत् एक वर्ष में ग्राम पंचायत झांझर में आदिम जाति कल्याण विभाग की राशि से जिन दो सी.सी. सड़को का निर्माण होना रिकार्ड मे बताया जा रहा था वे धरातल पर है ही नही।

साहब कब बनेंगी सड़क

सोशल वॉच ग्रुप की टीम जब ग्राम पंचायत झांझर के दलित बस्ती में पहुँची तो वहाँ के ग्रामीणों ने प्रशासनिक अधिकारी समझकर टीम के सदस्यों से सी.सी. सड़को का निर्माण कार्य के शुरू करने के संबंध मे पुछने लगे। टीम के सदस्यों ने जब अपना परिचय दिया और इस गाँव में आने का उद्वेश्य बताया तो वर्षो से प्रशासनिक उपेक्षाओं की दंश झेल कर निराश हो कर ग्रामीण दलितो ने बातों ही बातों में अपना सारा दर्द बयां कर दिया। इसे आजाद हिन्दुस्तान की विडम्बना कहे या दुर्भाग्य की जिन लोगो को केन्द मे रख कर सियासत हो रही है, उनके नाम पर रूपयों की कोई कमी नही वैसे गरीब लोगों को आज भी विकास से कोसों दूर है। दलित बस्ती में रहने वाले अर्जुन वंशकार, भूरा चौधरी, खुशीलाल, हुकमा वंशकार, कंछेदी वंशकार, सुदामा बाई, ठमरती बाई, मझली बहु, आदि ने बताया कि लगभग डेढ वर्ष पूर्व क्षेत्रीय विधायक एवं कृषि राज्य मंत्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह के प्रयासो से उनके गाँव में सी.सी. रोड की स्वीकृति हुई थी तथा उसका भूमि पुजन कार्य मंत्री महोदय ने स्वंय की थी, जिससे स्थानीय लोगो में खुशी का ठिकाना न था। परन्तु डेढ वर्ष बीत जाने के बाद भी अधिकारियों की मिली भगत से सी.सी.रोड बनने के पूर्व ही सारा पैसा खर्च हो गया, और तो और कागजों की छानबीन मे सड़क निर्माण कार्य पूर्ण दिखा दिया गया है। दलित समुदाय के लोग अपने गाँव में सी.सी. रोड नही बनने से अपने को छला महसूस कर रहे है।

शिकायत के बाद भी नही हुई कार्यवाही

ग्राम पंचायत झांझर के दलित एवं आदिवासी बस्ती के लोगो ने बताया कि कागजो में सी.सी. रोड के निर्माण होने कि शिकायत लगभग एक वर्ष पूर्व की गई थी। जिस पर जाँच भी हुई और गबन का आरोप भी सही पाये गये थे, परन्तु जब कार्यवाही की बारी आई तो वरिष्ट अधिकारियों फाईल को ठन्डे बस्तें मे डाल दिया। ग्रामीणों ने बताया कि इस ग्राम पंचायत के भ्रमण करने जितने भी अधिकारी आये उनसे शिकायतें कि गई परन्तु भ्रष्ट्राचार में लिप्त व धन को डकारने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने की साहस किसी ने नही उठाई। ग्रामीणें ने बताया कि वे अब निराश होकर इस मुद्दे को भूलने लगे है। गौर करने लायक बात ये भी है कि आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों नें भी राशि जारी करने के बाद उपयोगिता एंव निर्माण कार्य का प्रमाण पत्र भी मुनासीब नही समझा। इस पूरे मामले में आदिम जाति कल्याण विभाग एवं पवई जनपद सी.ई.ओ की क्या भूमिका रही ये विस्तृत जाँच का विषय है।

सामार: स्टार समाचार, पन्ना

जिला पंचायत कार्यालय में अनुपस्थित कर्मचारियों पर हुई कार्यवाही

सरपंच संघ ने किया फैसले का स्वागत

मीडिया अधिकारी, जिला पंचायत डिण्डौरी ने बताया कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा दिनांक 31.10.2012 को पूर्वान्ह में जिला पंचायत कार्यालय के आकस्मिक निरीक्षण किया गया जिसके दौरान पाँच अधिकारी/कर्मचारी अपने कार्यालय से बिना कोई कारण बताये और बिना अवकाश के अनुपस्थित पाये गये। जिस पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत डिण्डौरी ने गंभीरता से लेते हुए उक्त अधिकारियों/ कर्मचारियों के खिलाफ लापरवाही बरतने तथा कार्यालय में गैर वैधानिक तरीके से अनुपस्थित रहने के कारण दण्ड स्वरूप एक दिन का वेतन काटने के निर्देश दिये तथा भविष्य में बिना अनुमति कार्यालय से अनुपस्थित रहने हेतु सचेत करते हुए कारण बताओं नोटिस जारी किये गये। यह विदित हो कि सरपंच संघ व पंचायत जन प्रतिनिधियों ने कार्यालय जिला पंचायत डिण्डौरी के कई अधिकारियों/कर्मचारियों के अपने काम में लापरवाही बरतने, कार्यालय से लगातार अनुपस्थित रहने, जिले के कई विकास कार्यो में रोड़ा अटकाने तथा जन प्रतिनिधियों बे–वजह परेशान करने कि शिकायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी से लगातार करता रहा, परन्तु ऊँची पहुँच होने का रौब दिखाकर कार्यवाही से बचते रह रहे थे।

ग्राम सभा और सामाजिक सुरक्षा

पंचायत में नही पहुँचा पैसा, कैसे हो नरेगा मजदूरो का भुगतान ?

नोडल अधिकारी रहे नदारत, अनिवार्य ग्राम सभा हुई निरस्त

पन्ना से ज्ञानेन्द्र तिवारी की रिपोर्ट

ग्राम पंचायत कुंडार में अनिवार्य रूप से ग्राम सभा का आयोजन होने थे जिसमें मुख्य रूप से मनरेगा का सामाजिक अंकेक्षण किया जाना था, परन्तु ग्राम सभा में उपसरपंच एवं सचिव तो उपस्थित हुए किन्तु नोडल अधिकारी श्री कपिल पटेरिया समग्र स्वच्छता समन्वयक अनुपस्थित थे तथा संपरीक्षा समिति का एक भी सदस्य गायब थे। इस ग्राम सभा में स्थानीय नरेगा मजदूरों ने अपनी मजदूरी का भुगतान कई महीनों से नही होने, विधवा महिलाओं ने अपनी पेंशन व अन्य लोक कल्याण योजनाओं से संबंधित मुद्दों को उठाया। जिस पर सचिव ने दस्तावेज रखतें हुए में रखते हुए ग्राम सभा को बताया कि मजदूरी के भुगतान के लिये एक माह पूर्व मांग पत्र शासन को दिया गया था परन्तु अभी तक राशि नही भेजी गई।

अपना रिकार्ड दिखातें हुए सचिव नें कहा कि खातें में मात्र एक रूपये है तो मजदूरों का भुगतान कैसे किया जाए। हांलाकि ग्राम सभा में सामाजिक अंकेक्षण की तैयारी उपसरपंच व सचिव ने एक माह पूर्व से कर रखी थी लेकिन ग्राम सभा में मनरेगा एवं कल्याणकारी योजनाओ के अच्छे प्रदर्शन न होने से वही महिलाये एवं पुरूष जिनकी मजदूरी या पेशन की आवश्यकता थी वही आते एवं जाते रहे। ग्राम सभा में नोडल और ग्राम सभा सदस्य के कम आने से ग्राम सभा निरस्त कर दी गई।

14 माह से स्वीकृत है पेंशन, दो माह का किया भुगतान

पन्ना से ज्ञानेन्द्र तिवारी की रिपोर्ट

स्वीकृति के वाद भी नही मिली पेशन राशि – दो महिलाओ घस्सी वाई पति गणेश सिंह एवं शान्तीवाई गौड़ पति राम चरण आदिवासी का पेशन 20 जुलाई 2011 को चौदह माह पूर्व 275 रू प्रति माह से स्वीकृत हुआ था। जिसमें से घस्सीवाई को इसी माह दो माह की राशि 550 का भुगतान किया गया शेष राशि कब मिलेगी इसकी कोई जानकारी नही दी गई। जबकि शान्ती वाई पति रामचरण का खाता आज तक न खुल सका जिससे राशि नही मिल सकी है। इस तरह गैरजिम्मेदार कर्मचारियो की वजह से समय से पेशन नही मिल रही।

तंत्र के मकड़जाल में फसी विधवाओ की पेशन – कलिया उर्फ रामकली, दुलारी पति वर्रे फुकलिया वाई पति हीरा सिंह, विद्दावाई पति प्यारे सेन गरीव विधवा है। इनको पेशन की अति आवश्यकता है। कोई भी इन्सान इनके घर एवं जायदाद को देख कर कह सकता है कि इनको पेशन मिलनी चाहिये लेकिन ये महिलाये दर दर की ठोकर खा रही है इनको पेशन आज तक नही मिल रही है। कई वार आवेदन करने एवं पटवारी की टीप में भूमिहीन टीप होने के वावजूद भी पेशन स्वीकृति का मामला अधिकारियो के पास लंबित है।

अधिकारियों ने कहा: ग्राम सभा को नही है बीपीएल सूची में नाम काटने व जोड़ने का अधिकार

नाम काटना और जोड़ना तो जिला एवं जनपद पंचायत का अधिकार

ग्राम पंचायत कुड़ार से ग्राम सभा ने 22 अपात्र परिवारों का नाम गरीबी रेखा से काटने तथा 25 पात्र परिवारों के नाम जोड़ने की अनुशंसा ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सभा से पारित करवाकर, अनुमोदन के लिये जनपद व जिला पंचायत को 31 जुलाई को भेजे गये थे। परन्तु पाँच माह बीत जाने के बाद भी बीपीएल सूची में संशोधन नही किया गया। जबकि बी.पी.एल. सूची पात्र/अपात्र परिवारों के नाम जोड़ने/काटने के लिये वकायदा ग्राम पंचायत को प्रोत्साहित किया गया था। उल्टे अधिकारियों द्वारा पंचायत जनप्रतिनिधियों को कहा जा रहा है कि बीपीएल में नाम काटने और जोड़ने का आदेश तो जिले जनपद से जारी होते है, अनुमोदन करने वाला ग्राम सभा कौन होता है? अधिकारी कहते है कि ग्राम सभा को नाम काटने व जोड़ने का अधिकार नही है। इस घटना से जहाँ लोगो में घोर निराशा है वही बी.पी.एल. के पात्र परिवार, महिलाऐं, बुजुर्ग कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित है, और तो और जनप्रतिधि भी अपने को ठगे और असहाय महसूस कर रहे है कि वास्तव में प्रशासन के आगे ग्राम सभा का कोई अधिकार नही है। इस तरह की घटनाओं से ग्राम सभा में लोगों की उपस्थिति दिनों दिन कम होती जा रही है, लोगों में निराशावादी सोंच विकसीत हो रही है। अतः जरूरी यह है कि ग्राम सभा को मजवूत करने के लिये जिले व राज्य के उच्च अधिकारियो को पहल करनी होगी, ग्राम पंचायत व ग्राम सभा को अधिकार सम्पन्न बनाना होगा। नोडल पर कार्यवाही एवं जो कार्य ग्राम पंचायत में द्वारा अनुमोदित होते है और जिले से हो सकते उनको पूरा करने का प्रयास करना चाहिये । ग्राम सभा के प्रति लोगो का विश्वास पैदा करना आवश्यक है। अभी सिर्फ जिले एवं जनपद के अधिकारी ग्राम सभाओ का इस्तेमाल भर कर रहे है। उनकी स्वायत्ता का हनन करने के अलावा कुछ नही करते। नही चाहते की ग्राम पंचायत और ग्राम सभा अपना काम सही कायदे कानून से करे ।

सर्वोच्य न्यायालय के 14 फरवरी 2006 के आदेशों का हो रहा है खूला उल्लंघन

माननीय सर्वोच्य न्यायालय ने पी.यु.सी.एल बनाम भारत संघ व अन्य के केस में 14 फरवरी 2006 के आदेश में कहा है कि बी.पी.एल. सूची में पात्र व अपात्र परिवारों की पहचान कर उनके नाम जोड़ने व काटने का फैसला ग्राम सभा द्वारा पूरे वर्ष कर सकेंगी।

सामाजिक अंकेक्षण का क्या था आदेश –

मध्य प्रदेश पंचायतीराज अधिनियम 2055 की धारा 6 के अंतर्गत गठित ग्रामसभाओं एवं मनरेगा की धारा 17 के विन्दु कमांक 1,2,3 में पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत करवाये जाने वाले कार्यो का सामाजिक अंकेक्षण ग्रामसभा में कराये जाने का प्रावधन है। यह सामाजिक अंकेक्षण वर्ष में आयोजित होने वाली 04 अनिवार्य ग्रामसभाओं तथा आवश्यकता पड़ने पर कभी भी विशेष ग्रामसभा आयोजन कर सामाजिक अंकेक्षण करने की व्यवस्था दी गई है। इस आशय से जारी मध्यप्रदेश रोजगार गारंटी परिषद भोपाल के दिनांक 11/07/2009 के आदेश क. 8968/एनआरईजीएस–एमपी/एन आर–6/2009 केविन्दु क. 3 में प्रत्येक सामाजिक अंकेक्षण मनरेगा से कराये गये कार्यो के लिये संपरीक्षा समिति का गठन ग्रामसभा द्वारा किया जाना जिसमें एक तिहाई से अधिक महिलाओं को रखा जाना। विन्दु क. 2 में सामाजिक अंकेक्षण कार्य की घोषणा 30 दिन पहले की जाना। विन्दु क. 5 में सामाजिक अंकेक्षण से 15 दिन पूर्व मनरेगा के कार्यो से संबंधित आवश्यक जानकारियों की प्रतियाँ संपरीक्षा समिति को देना जिससे यह समिति कार्यो का सत्यापन कर अपना निगरानी प्रतिवेदन तैयार कर सके। विन्दु क. 8 में संपरीक्षा समिति द्वारा ग्रामसभा मे सामाजिक अंकेक्षण के दौरान वाचन हो तथा निगरानी प्रतिवेदन के विन्दुओ पर ग्रामसभा अपना निर्णय प्रस्ताव पारित कर सके।

विशेष ग्राम सभा और मनरेगा

1-30 अक्टूबर तक चले विशेष ग्राम सभा में मनरेगा का हुआ सामाजिक अंकेक्षण

जागरूकता अभियान एवं जमीनी हकीकत

मनरेगा अन्तर्गत विशेष ग्राम सभा में होने वाले सामाजिक अंकेक्षण को मजबूत करने के लिये समर्थन संस्था द्वारा लगातार ग्राम पंचायत एवं जिले के अधिकारियो से सम्पर्क कर बेहतर वातावरण निर्माण किया गया। जिले में 27 अक्टूबर 2012 से आयोजित होने वाली विशेष ग्रामसभाओं मे मनरेगा के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण कर जमीनी सच्चाई के अवलोकन तथा ग्रामसभाओं में सामाजिक अंकेक्षण पर चलाई जाने वाली प्रकिया का अध्ययन किया गया।संस्था ने जिले की 121 ग्रामपंचायतों में ग्रामसभाओं का अवलो. कन ग्रामसभा में उपस्थित रहकर किया। विशेष ग्रामसभाओं में सामाजिक अंकेक्षण का अध्ययन 242 प्रशिक्षित स्थानिय युवाओ के माध्यम से किया गया। संस्था द्वारा विशेष ग्रामसभाओं के आयोजन से पूर्व इस कार्यक्रम में शामील सभी ग्रामपंचायतों के दो–दो युवाओं को सामाजिक अंकेक्षण की प्रकिया पर प्रशिक्षत किया गया।

प्रशिक्षित युवाओं को संपरीक्षा समिति को प्रशिक्षित करना तथा दस्तावेजों एवं कार्यों का भौतिक सत्यापन कार्य एवं संपरीक्षा प्रतिवेदन तैयार करने मे सहयोग देना। इसके अलावा ग्रामसभा का प्रचार–प्रसार करना तथा सामाजिक अंकेक्षण में सदस्यों की भगीदारी सुनिश्चित कराने का दायित्व गॉव का जागरूक युवा होने का नैतिक दायित्व सौंपा गया।

मनरेगा के सामाजिक अंकेक्षण हेतु विशेष ग्राम सभायें – मनरेगा के प्रावधन एवं मध्यप्रदेश रोजगार गारंटी परिषद के पत्र के अनुरूप मनरेगा के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष में माह अप्रैल से अक्टूबर तक हुये कार्यों में पारदर्शिता एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु विशेष ग्रामसभाओं में सामाजिक अंकेक्षण के लिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा आदेश दिनंक 18/9/2012 को जारी किया गया था। इस आदेश में माह अक्टूबर में दो चरण में ग्रामसभाओं के आयोजन का निर्धारण किया गया। प्रथम चरण में 02 अक्टूबर से 05 अक्टूबर की ग्रामसभा के एजेण्ड़ा में 30 बिन्दु निर्धारित थे। मनरेगा के सामाजिक अंकेक्षण हेतु पूर्व में गठित संपरीक्षा समितियों का कार्यकाल 6 माह पूर्ण होने पर इस एजेण्डा के विन्दु 03 में संपरीक्षा समितियों के गठन का निर्देश था। जिससे माह अक्टूबर में मनरेगा का सामाजिक अंकेक्षण हो सके। द्वितीय चरण में 27 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक विशेष ग्रामसभाओं में मनरेगा के सामाजिक अंकेक्षण कराया जाना सुनिश्चित किया गया।

विशेष ग्रामसभाओं में सामाजिक अंकेक्षण क्या था हाल ग्राम पंचायत में लटके मिले ताले – सामाजिक अंकेक्षण के लिये आयोजित विशेष ग्रामसभा के दिन जनपद पंचायत पन्ना की ग्राम सभा बराछ, मनकी, ग्राम कटरिया, पुराना पन्ना, रानीगंजपुरवा, कोदनपुरवा, जरूवापुर, बगौंहा, नहरी, दरेरा एवं रंजा. रपुरा जनपद पंचायत शाहनगर जनपद की रोहनिया एवं खमतरा जनपद पंचायत पवई की मुराछ, झांझर एवं जनपद पंचायत गुन्नौर की ग्रामसभा मानिकपुर कला में पंचायत भवन तथा ग्रामसभा स्थलों में ताला बंद रहे। सामा. जिक अंकेक्षण के लिये होने वाली ग्रामसभाओं की सूचना ग्राम वासियों को नहीं दी गई। ग्रामसभा के दिन सरपंच, सचिव एवं नोडल अधिकारी भी नहीं आये।

ग्रामपंचायतों को विशेष ग्रामसभा आयोजन करने का नही मिला सरकारी आदेश– जनपद पंचायत गुन्नौर में एक भी ग्राम सभा नही हुई। यहां पर ग्राम पंचायतो को आदेश भी नही दिया गया। इस सन्दर्भ में जनपद पंचायत

शेष पृष्ठ 6 पर